कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, (नैनीताल)

पत्रांकः– उ०वि०शि०प०/छात्रवृत्ति/के०छा०/ 06 /2025–26 दिनांक 27 जून 2025

विज्ञप्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP-CSSS) के अन्तर्गत केन्द्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सत्र **2025–26 के लिए Fresh छात्रवृत्ति हेतु** इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2025 में Top 20 Percentile में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से अर्ह विद्यार्थियों का चयन इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग के परीक्षार्थियों में से किया जाना है।

वर्ष 2025 में इस परिषद् से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों (Top 20 Percentile) से 1st Fresh Scholarship हेतु दिनांक **31 अक्टूबर 2025** तक आवेदन पत्र ऑन–लाइन आमंत्रित किये जाते हैं। साथ ही **2024 इण्टरमीडिएट बैच के 1st Renewal, 2023 इण्टरमीडिएट बैच के 2nd Renewal, 2022 इण्टरमीडिएट बैच के 3rd Renewal तथा 2021 इण्टरमीडिएट बैच के 4th Renewal** के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। साथ ही Defective Application Verification** की **अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।**

उक्त छात्रवृत्ति हेतु अर्ह विद्यार्थी अपना आवेदन **मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://www.scholarships.gov.in पर कर सकते हैं एवं इस हेतु** Cut-off Details व Merit List **परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।**

27/6/2025

(वी०पी० सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पृ.सं.: उ०वि०शि०प०/छात्रवृत्ति/के०छा०/ 06 /2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि –: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, छात्रवृत्ति अनुभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्त छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों/संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने का कष्ट करेंगे।
3. निदेशक (मा०शि०)/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान एवं उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार–पत्र के ऐसे पृष्ठ में, जिसका प्रचार–प्रसार पूरे उत्तराखण्ड में हो में 10X8 से.मी.साईज में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। **विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त समाचार पत्र की एक छायाप्रति के साथ देयक दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर** भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

27/6/2025

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।